रा/1454
29/6

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

वित्त (नियम) विभाग

क्रमांकःएफ4/मु./वित्त/नियम/172/ 2017/3392 दिनांकः 23.06.17

परिपत्र

विषयः– रा0रा0प0प0निगम पुनरीक्षित वेतनमान विनियम 2008 में किये गये वेतन निर्धारण का परीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह ध्यान में आया है कि कई प्रकरणों में निगम कर्मचारियों के वेतन निर्धारण रा0रा0प0प0 निगम (पुनरीक्षित वेतनमान) विनियम 2008 के वेतन निर्धारण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नही किये गये है एवं निम्न प्रकार के प्रकरणों में वेतन स्थिरीकरण बाबत समय समय पर स्पष्टीकरण चाहा जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

1. रा0रा0प0प0 निगम (पुनरीक्षित वेतनमान) विनियम 2008 में वेतनमान के स्थान पर रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे का प्रावधान किया गया है, जिसमें पदवार न्यूनतम वेतन का प्रावधान नही है। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को प्रोवेशनर ट्रेनी अवधि पूर्ण करने पर उक्त विनियमों की अनुसूची–v के अनुसार प्रारम्भिक वेतन देय है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण उक्त विनियमों के विनियम 23 के प्रावधान के अनुसार रनिंग पे बैण्ड वेतन में विद्यमान मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड पे) की तीन प्रतिशत वृद्धि करने तथा पदोन्नति के फलस्वरूप यदि रनिंग पे बैण्ड के न्यूनतम से कम वेतन होने पर पदोन्नति पद के रनिंग पे बैण्ड के न्यूनतम पर वेतन निर्धारण करने एवं पदोन्नत पद की ग्रेड पे देय किये जाने का प्रावधान है । पदोन्नति पर उक्त प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण करने के स्थान पर उक्त विनियमों की अनुसूची –v में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी के द्वारा प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर देय प्रारम्भिक वेतन पर वेतन निर्धारण किया जाना नियमानुसार अनुज्ञेय नही है।

2. रा0रा0प0प0 निगम (पुनरीक्षित वेतनमान) विनियम 2008 में आदेश क्रमांक 4257 दिनांक 08.07.2013 के द्वारा राशि 2800/– रूपये तक की ग्रेड पे के पद के कर्मचारियेां के लिए रनिग पे बैण्ड में दिनांक 01.07.2013 को एक बारीय एकमुश्त वृद्धि किये जाने का विनियम 28 में प्रावधान है। उक्त प्रावधान के तहत रनिंग पे बैण्ड में एक बारीय वृद्धि का लाभ केवल उन कर्मचारियों को देय है जो सीधी भर्ती से नियुक्ति पश्चात् किसी अन्य पद पर पदोन्नत नही हुए है अथवा जिन्हे 9 वर्ष से कम की सेवा होने के कारण ए0सी0पी0 योजना के तहत (आगामी ग्रेड पे) प्राप्त नही हुई है। अन्य कर्मचारियों पर विनियम 28 के प्रावधान प्रभावी नही होने के कारण उक्त लाभ देय नही है। अतः जिन कर्मचारियों पर विनियम 28 के प्रावधान लागू नही है, उन्हें दिनांक 01.07.2013 को रनिंग पे बैण्ड में एक बारीय एक मुश्त वृद्धि का लाभ अनुज्ञेय नही होने से संशोधन अपेक्षित है।

3. रा0रा0प0प0 निगम (पुनरीक्षित वेतनमान) विनियम 2008 में ए0सी0पी0 के तहत कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा अधिक ग्रेड पे प्राप्त करने के आधार पर वरिष्ठ कर्मचारी की ग्रेड पे का स्टेपअप किये जाने का प्रावधान नहीं हैं। अतः किसी वरिष्ठ कर्मचारी की ग्रेड पे कनिष्ठ कर्मचारी के समान स्टेपअप किया जाना त्रुटिपूर्ण होने से संशोधन वांछित हैं।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत करने, वेतनवृद्धि की राशि की गणना त्रुटिपूर्ण होने, ए0सी0पी0 के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमित नियुक्ति दिनांक के स्थान पर अन्य किसी दिनांक से गणना कर दिया जाना त्रृटिपूर्ण है।

अतः समस्त इकाई प्रभारियों से अपेक्षा की जाती है कि कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के समस्त प्रकरणों का उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण परीक्षण करावें तथा वेतन निर्धारण त्रृटिपूर्ण होने पर अविलम्ब वेतन निर्धारण को संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान न हो ।

(परमेश्वरी चौधरी)
वित्तीय सलाहकार

कमांक:एफ4/मु./वित्त/नियम/172/ 2017/3392 दिनांकः 23-06-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 निजी सचिव, अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
2 कार्यकारी निदेशक( ), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
3 महा प्रबन्धक( ), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
4 उप महा प्रबन्धक ( )/कार्यकारी प्रबन्धक, ( )रा.रा.प.प. निगम, मु जयपुर ।
5 उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करावें ।
6 निगम सचिव, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
7 मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, के0 कार्यशाला, रा.रा.प.प. निगम, ... ।
8 लेखाधिकारी( ) रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
9 मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प. निगम, ... ।
10 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I( ), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
11 आदेश/रक्षित पत्रावली ।

(श्रीराम मीना)
महा प्रबन्धक (वित्त)

Sh V...
28/6